भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5493
दिनांक 03 अप्रैल, 2025

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

†5493. श्री सौमित्र खान

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में गरीबी रेखा से नीचे/अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति के कितने परिवार है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पीएमयूवाई योजना के लाभार्थी एलपीजी की कीमतों में वृद्धि/धन की कमी के कारण अपने गैस सिलेंडर को फिर से भरवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा एलपीजी सिलेंडरों की कीमत कम करने अथवा उक्त श्रेणियों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार/क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या सरकार पीएमयूवाई के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ): पूरे देश में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं के नाम पर जारी होता है, बशर्ते परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई एलपीजी कनेक्शन न हो और अन्य नियमों तथा शर्तों को पूरी करता हो। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से संबंधित परिवार (एसईसीसी) सूची में शामिल या अन्य सात श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति (एससी) परिवार, अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवार, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थी, वनवासी, द्वीप/नदी द्वीपों के निवासी, चाय बागान/पूर्व चाय बागान श्रमिक या गरीब परिवार जो उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, वे 14 सूत्रीय घोषणा प्रस्तुत करके पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए पात्र हैं। दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य के 1.24 करोड़ कनेक्शनों सहित पूरे देश में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं। दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य के 36.41 लाख एससी/एसटी लाभार्थियों सहित एससी, एसटी में 3.13 करोड़ लाभार्थी हैं।

पीएमयूवाई का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन एलपीजी उपलब्ध करवाना और इसके द्वारा घरों में अत्यधिक वायु प्रदूषण फैलाने वाले पारंपरिक रसोई ईंधन जैसे जलाने की लकड़ी, कोयला, गाय के

गोबर से बने उपले आदि के इस्तेमाल से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। रसोई ईंधन के रूप में एलपीजी के इस्तेमाल से महिलाओं द्वारा जलाने की लकड़ी एकत्रित करने की नीरसता खत्म होती है और इससे खाना बनाने में लगने वाला समय भी कम हो जाता है तथा इससे वनों की कटाई की भी रोकथाम होती है। पीएमयूवाई ने देश में मुख्य रूप से एलपीजी कवरेज में योगदान दिया है जो अप्रैल 2016 में 62 प्रतिशत से बढ़कर अब संतृप्ति के निकट है।

पीएमयूवाई लाभार्थियों के एलपीजी खपत की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है। परिवारों द्वारा घरेलू एलपीजी की खपत विभिन्न घटकों जैसे खाद्य सम्बन्धी आदतों, परिवार के आकार, भोजन पकाने की आदतों, पद्धति, रस, स्वाद, प्राथमिकताओं, मूल्य, वैकल्पिक ईंधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है।

भारत घरेलू एलपीजी के खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़े हुए हैं। औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 63 % (जुलाई 2023 में यूएस अमेरीकी डॉलर 385 प्रति एमटी से फरवरी 2025 में यूएस अमेरीकी डॉलर 629 प्रति एमटी तक) तक वृद्धि हुई है जबकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य में 44 % (अगस्त 2023 में 903 रूपए से फरवरी, 2025 में 503 रुपए तक) तक कमी हुई है।

सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए दिनाँक 30 अगस्त, 2023 से घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य में प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर के लिए 200 रुपए तक की कमी की। सरकार ने दिनाँक 9 मार्च, 2024 से घरेलू एलपीजी के आरएसपी में प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर के लिए 100 रुपए तक की और कटौती की है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी का वर्तमान आरएसपी 803 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर है।

सरकार, पीएमयूवाई योजना की शुरुआत से वित्त वर्ष 2022-23 तक प्रति पीएमयूवाई कनेक्शन पर सिलिंडर की जमानत राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होस, डीजीसीसी बुकलेट तथा संस्थापन प्रभार के रूप में 1600 रुपए तक का व्यय वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से यह व्यय प्रति 14.2 किलोग्राम के सिंगल बॉटल कनेक्शन/ 5 किलोग्राम के डबल बॉटल कनेक्शन पर बढ़कर 2,200 रुपए तथा 5 किलोग्राम के सिंगल बॉटल कनेक्शन पर 1,300 रुपए हो गया है। पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शनों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी)-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-क** में दिए गए हैं।

सरकार ने पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और किफायती बनाने के लिए तथा उनके द्वारा एलपीजी के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 रिफिलों तक (तथा 5 किलोग्राम के कनेक्शनों के लिए अनुपातिक रूप से समानुपाती) 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता मई 2022 में शुरू की। सरकार ने अक्टूबर, 2023 से निर्धारित राजसहायता को प्रतिवर्ष 12 रिफिलों तक (तथा 5 किलोग्राम के कनेक्शनों के लिए अनुपातिक रूप से समानुपाती) प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर को बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। भारत सरकार, सभी पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए प्रति सिलिंडर निर्धारित राजसहायता के बाद 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलिंडरों को प्रति सिलिंडर 503 रुपए प्रभावी मूल्य पर (दिल्ली में) प्रदान कर रही है। यह देश भर में 10.33 करोड़ से भी अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को उपलब्ध है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और वहनीयता में सुधार के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरुप, पीएमयूवाई लाभार्थियों (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किग्रा. एलपीजी सिलिंडरों की संख्या के सन्दर्भ में) की प्रति व्यक्ति खपत 3.01 (वि.व.2019-20) से बढ़कर वि.व 2023-24 में 3.95 हो गई है तथा (दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार) वि.व 2024-25 में 4.43 है।

विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों और रिपोर्टों में दिखाई दिया है कि पीएमयूवाई योजना का ग्रामीण परिवारों, खास तौर से महिलाओं तथा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे परिवारों के जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ प्रमुख फायदे संक्षेप में नीचे स्पष्ट किए गए हैं:-

(i) पीएमयूवाई के परिणामस्वरूप खाना बनाने के उन पारंपरिक तरीकों में बदलाव आया है जिनमें लकड़ी, गोबर और फसल अपशिष्टों जैसे ईंधनों को जलाना शामिल था। अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से घरों में होने वाला वायु प्रदूषण कम हुआ है जिससे विशेष रूप से उन महिलाओं और बच्चों के श्वसन संबंधी स्वास्थ्य बेहतर हुआ है जो पारंपरिक तरीके से खाना बनाने के दौरान धुएं के संपर्क में ज्यादा आते हैं।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों खास तौर से दूर दराज के स्थानों में रह रहे परिवार अपना अधिकांश समय और ऊर्जा पारंपरिक रसोई ईंधन इकट्ठा करने में खर्च करते हैं। एलपीजी से गरीब परिवारों की महिलाओं द्वारा खाना बनाने में होने वाली नीरसता और इसमें लगने वाले समय में कमी आई है। इस प्रकार उन्हें फुरसत का समय उपलब्ध होता है जिसका उपयोग वे आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कर सकती हैं।

(iii) बायोमास और पारंपरिक ईंधनों के स्थान पर एलपीजी का इस्तेमाल करने से खाना बनाने के प्रयोजनों के लिए लकड़ी तथा अन्य बायोमास पर निर्भरता कम हुई है जिससे वनों की कटाई तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव में कमी आई है। इससे न केवल परिवारों को फायदा मिलता है अपितु व्यापक तौर पर किए जाने वाले पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपायों में भी इसका योगदान है।

(iv) खाना बनाने की बेहतर सुविधाओं के साथ, पोषण पर संभावित सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवारों को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन बनाने में आसानी प्राप्त होती है, जिससे समग्र स्वास्थ्य बेहतर होगा।

****

अनुलग्नक-क

"पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना" के संबंध में श्री सौमित्र खान द्वारा दिनांक 03.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5493 भाग (क) से (ङ) तक के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमयूवाई योजना के तहत जारी किए गए कनेक्शनों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश(यूटी)-वार विवरण – दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश(यूटी)	पीएमयूवाई ग्राहकों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप	13,824
आंध्र प्रदेश	9,73,250
अरुणाचल प्रदेश	53,795
असम	50,97,581
बिहार	1,16,28,783
चंडीगढ़	2,027
छत्तीसगढ़	38,01,474
दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	17,792
दिल्ली	2,59,674
गोवा	1,955
गुजरात	43,08,665
हरियाणा	11,15,235
हिमाचल प्रदेश	1,50,742
जम्मू और कश्मीर	12,69,741
झारखंड	38,95,189
कर्नाटक	41,46,904
केरल	3,87,787
लद्दाख	11,086
लक्षद्वीप	370
मध्य प्रदेश	88,47,087
महाराष्ट्र	52,17,601
मणिपुर	2,24,926
मेघालय	3,17,155
मिजोरम	36,006
नगालैंड	1,22,147
ओडिशा	55,49,512
पुदुचेरी	19,383
पंजाब	13,59,442
राजस्थान	73,81,514
सिक्किम	19,872
तमिलनाडु	41,00,025
तेलंगाना	11,84,203
त्रिपुरा	3,16,420
उत्तर प्रदेश	1,85,94,200
उत्तराखंड	5,30,161
पश्चिम बंगाल	1,23,75,281

स्रोत: उद्योग आधार पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

****